न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 193/2019 **दायर दिनांकः 23.12.2019**

उनवान

1. रामनारायण आयु 57 वर्ष पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी सहरोद तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. झनकारचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।
3. राजकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।
4. उमाबाई पत्नि मोहनलाल जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. बद्रीलाल पुत्र गोरधनलाल जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. कमलकुमार पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. शाखा प्रबंधक महोदय ओरयिन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा बारां जिला बारां राज0।
8. शाखा प्रबंधक महोदय एक्सिस बैंक शाखा बारां जिला बारां राज0।
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री नीरज शर्मा प्रति0 कम 8

निर्णय **दिनांक 18/08/2022**

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू जिला बारां में आराजी खाता संख्या 163 का ख0न0 67 का रकबा 1.07 है0, ख0नं0 603 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 604 का रकबा 0.04 है0,

ख0नं0 715 का रकबा 1.41 है0, ख0नं0 817 का रकबा 0.30 है0, ख0नं0 822 का रकबा 0.45 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.54 है0, ख0नं0 1171 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1172 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1209 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 1456 का रकबा 0.51 है0, ख0नं0 1457 का रकबा 0.70 है0 आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 2 ता 6 के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 163 का ख0नं0 715 का रकबा 1.41 है0 आराजी वादी व प्रतिवादीगण क्रम 5 के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है जिसमें वादी के पास ख0नं0 715 का रकबा 1.41 है0 में से 0.47 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण क्रम 1 ने अवैधानिक तरीके से दादागिरी के बल पर कोई कानूनी अधिकार नहीं रखते हजुये जबरन दिनांक 15.11.2019 को कब्जा कर लिया है एवं वादी द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी दी एवं लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ। इस कारण वादी को अपनी स्वामित्व की आराजी के सम्बन्ध में चले आ रहे हक हकूकों से वंचित होना पड रहा है एवं अनेकाने वाद विवादों में उलझना पडेगा। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादीगण क्रम 5 के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी है जिसके काश्त को लेकर आये दिन तकाजा बना रहता है इस कारण वादी वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को प्रतिवादीगण क्रम 1 से कब्जा छुडाकर एवं पाबन्द करवाकर प्रतिवादीगण क्रम 5 से अपनी आराजी को पृथक करवाकर मय लगान राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण क्रम 1 से अपनी आराजी पर से कब्जा छोडने बाबत कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण क्रम 1 कब्जा छोडने पर राजी नहीं हुआ एवं लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ एवं प्रतिवादीगण क्रम 5 से अपनी–अपनी आराजी पृथक करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन वह नहीं माना एवं प्रतिवादीगण क्रम 9 से वादी ने अपनी आराजी को पृथक कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी इस कारण यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। यदि प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया और वाद पत्र की मद नं0

1 में वर्णित वादी के स्वामित्व की आराजी पर जबरन अवैधानिक तरीके से बिना किसी कानूनी अधिकार के कब्जा कर लिया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इस वजह से वादी वाद पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 को आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व एवं हिस्से की आराजी पर वादी को उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्ण तरीके से करने दे उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ऐसा कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण कम 1 करें न न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे एवं प्रतिवादीगण कम 9 को आदेशित किया जावे कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के हिस्से की आराजी को मय लगान पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रतिवादीगण कम 2 ता 4 एवं 6 आराजी में सहखातेदार होने से उसे वाद में प्रतिवादीगण कम 2 ता 4 व 6 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिसमें वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। आराजी बैंक के रहन दर्ज होने से उन्हे वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण कम 7 व 8 बनाया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने की वजह से राजस्थान सरकार श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी कम 9 बनाया गया है। वाद कारण प्रथम एवं अन्तिम बार दिनांक 15.11.2019 को प्रतिवादीगण कम 1 द्वारा वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने पर तथा प्रतिवादीगण कम 5 द्वारा आराजी पृथक करवाने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम वाद कारण उत्पन्न हुआ। इसलिए यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य हैं वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर वादी निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 व 5 इस आशय की पारित की जावे–

(अ) प्रतिवादी कम 1 को आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी में वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ऐसा कृत्य न

तो स्वयं करें ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। अगर दौराने वाद वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के हिस्से एवं कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर कब्जा कर ले तो कब्जा पुनः वादी को सम्भलाया जावे।

(ब) वाद पत्र की मद नं0 में वर्णित वादी के हिस्से एंव कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी को पृथक कर राजस्व रिकार्ड में मय लगान अंकन करने हेतु प्रतिवादीगण क्रम 9 को आदेशित किया जावे।

(स) बैंक रहन का नोट ऋणी खातेदार के नाम दर्ज किया जावे।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 तथा 4 लगा 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 से वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 9 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी क्रम 8 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 6 कमल कुमार पुत्र बद्रीलाल धाकड निवासी ग्राम सहरोद तहसील अटरू जिला बारां ने प्रतिवादी संख्या 8 एक्सिस बैंक लिमिटेड, से कृषि ऋण प्राप्त किया था तथा प्रतिवादी संख्या 6 कमल कुमार पुत्र बद्रीलाल धाकड निवासी ग्राम सहरोद तहसील अटरू जिला बारां ने अपनी आराजी कृषि भूमि ग्राम सहरोद तहसील अटरू जिला बारां के ख0नं0 1958/822, 832 कुल किता 2 क्षेत्रफल 0.80 में अपना हिस्सा एक्सिस बैंक लिमिटेड, शाखा बारां के समक्ष बतौर प्रतिभूमि रहन रखा था। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में उक्त नामान्तरण का इन्द्राज हो चुका है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 एक्सिस बैंक लिमिटेड का अधिकार बतौर रहननामा हो चुका है। जिसको सुरक्षित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगा 6 आपस में मिले हुए है तथा उक्त वाद पत्र ऋण के भुगतान में देरी किये जाने व अपने दायित्व से बचने के लिए जानबुझकर प्रस्तुत किया गया है जो कि पोषणीयता के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 6 कमल कुमार पुत्र बद्रीलाल धाकड धाकड निवासी ग्राम सहरोद तहसील अटरू जिला बारां की भूमि एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा बारां के नाम रहन होने के कारण वादी प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध किसी प्रकार का

अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जब तक कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के यहां से रहन मुक्त नहीं कर दी जाती है अन्यथा बैंक के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 6 कमल कुमार पुत्र बद्रीलाल धाकड निवासी ग्राम सहरोद तहसील अटरू जिला बारां भी पार्टी है तथा उसकी भूमि एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा बारां के नाम रहन होने के कारण एक्सिस के अधिकारों को सुरक्षित रखे जाना भी आवश्यक है। इस वाद पत्र के निर्णय से एक्सिस बैंक लिमि. के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है तो एक्सिस बैंक लि0 को इस वाद पत्र पर कोई आपत्ति नहीं होगी। वाद पत्र की मद संख्या 1 में दिए गए तथ्य राजस्व रिकार्ड की वस्तु होने के कारण जवाब देने की आवश्यकता नहीं है वादी स्वयं सिद्ध करें। वाद पत्र की मद संख्या 2 में दिए गए तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है वादी स्वयं सिद्ध करें। वाद पत्र की मद संख्या 3 में दिए गए तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है वादी स्वयं सिद्ध करें। वाद पत्र की मद संख्या 4 में दिए गए तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है वादी स्वयं सिद्ध करें। वाद पत्र की मद संख्या 5 में दिए गए तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है वादी स्वयं सिद्ध करें। वाद पत्र की मद संख्या 6 में दिए गए तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है वादी स्वयं सिद्ध करें। किन्तु यह स्पष्ट किया जाना अतिआवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 6 कमल कुमार पुत्र बद्रीलाल धाकड निवासी ग्राम सहरोद ने अपनी आराजी कृषि भूमि ग्राम सहरोद के ख0नं0 1958/822, 832 कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 है0 में अपना एक्सिस बैंक लि0 शाखा बारां के समक्ष बतौर प्रतिभूमि रहन रखा था। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में उक्त नामान्तकरण का इन्द्राज हो चुका है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 का अधिकार बतौर रहननामा हो चुका है। जिसको सुरक्षित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद पत्र की मद संख 7 में अंकित किये गये तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है एवं जब तक आराजी कृषि भूमि ग्राम सहरोद के ख0नं0 1958/822, 832 किता 2 रकबा 0.80 में अपना हिस्सा एक्सिस बैंक लि0 बारां के रहन होने के कारण वादी उक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जावे व प्रतिवादी संख 8 के विरूद्ध किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तब तक कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के यहां से रहन मुक्त नहीं कर दी जाती है अन्यथा बैंक के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। वाद पत्र की मद संख्या 8 में दिए गये तथ्य यहां तक स्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 6 की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के यहा रहन होना स्वीकार है एवं प्रतिवादी संख्या 6 कमल कुमार पुत्र बद्रीलाल धाकड निवासी सहरोद की कृषि भूमि एक्सिस बैंक लि0 बारां के नाम रहन होने के कारण एक्सिस बैंक लि0 के अधिकारों को सुरक्षित रखे जाना भी आवश्यक है।

वाद पत्र की मद नं0 9 में अंकित तथ्य के जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादी स्वयं साबित करे। वाद पत्र की मद संख्या 10 में दिए गए तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है वादी स्वयं सिद्ध करें। वाद पत्र की मद संख्या 11 में अंकित तथ्य कानूनी होने से काबिले गौर अदालत है। वाद पत्र की मद संख्या 12 में अंकित तथ्य कानूनी होने से काबिले गौर अदालत है। वाद पत्र की मद संख्या 13 में अंकित तथ्य कानूनी होने से काबिले गौर अदालत है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त वाद पत्र का निर्णय करते समय प्रतिवादी संख्या 8 एक्सिस बैंक लि0 के यहां ग्राम सहरोद की ख0नं0 1958/822, 832 किता 2 रकबा 0.80 भूमि बतौर रहन से संबंधित प्राप्त समस्त अधिकार सुरक्षित रखते हुए इस वाद पत्र का निर्णय किया जावे। जवाबदार का उक्त आराजीयात में रहनशुदा हिस्से को सुरक्षित रखा जावे एवं वादी से जवाबदार को अकारण पक्षकार बनाकर परेशान किया गया है की बाबत हर्जा खर्चा दिलाया जावे।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 रामनारायण पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी सहरोद का शपथ पत्र पेश किया गया। ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू जिला बारां में आराजी खाता संख्या 163 का ख0न0 67 का रकबा 1.07 है0, ख0नं0 603 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 604 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 715 का रकबा 1.41 है0, ख0नं0 817 का रकबा 0.30 है0, ख0नं0 822 का रकबा 0.45 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.54 है0, ख0नं0 1171 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1172 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1209 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 1456 का रकबा 0.51 है0, ख0नं0 1457 का रकबा 0.70 है0 आराजी मेरे एवं प्रतिवादीगण क्रम 2 ता 6 के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 163 का ख0नं0 715 का रकबा 1.41 है0 आराजी वादी व प्रतिवादीगण क्रम 5 के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है जिसमें वादी के पास ख0नं0 715 का रकबा 1.41 है0 में से 0.47 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही है। प्रतिवादी क्रम 1 जिसने मेरे हिस्से की भूमि पर कब्जा कर रखा है उसे मेरे स्वामित्व की आराजी से बेदखल किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

4. अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 8 की बहस सुनी। बहस के प्रकाश मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। संवत 2073 से 2076 के ग्राम सहरोद की प्रस्तुत जमाबन्दी (प्रदर्श–1) के अवलोकन से जाहिर है कि खाता संख्या 163 किता 12 कुल रकबा 5.34 है0 भूमि खातेदार झनकारचन्द, राजकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण के सहखातेदारी में दर्ज खाता थी जिसमें से खातेदारान द्वारा ग्राम सहरोद के ख0नं0 715 रकबा 1.41 है0 में से 0.94 है0 भूमि का बेचान बद्रीलाल पुत्र गोरधनलाल जाति धाकड को किया गया था तथा ख0नं0 715 रकबा 1.41 है0 में से शेष बचा

रकबा 0.47 है0 भूमि का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा वादी रामनारायण पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल को किया गया था। प्रदर्श–1 पर अंकित नामान्तरण संख्या 1287 दिनांक 20.01.2017 के अनुसार वादी रामनारायण पुत्र पृथ्वीराज के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई और रिकोर्डेड खातेदार वादी की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 का कोई हक व अधिकार नही बनता है। यदि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जबरदस्ती वादी की रिकार्डेड खातेदारी भूमि पर कब्जा किया है या करता है तो प्रतिवादी क्रम 1 अतिचारी (trespasser) माना जायेगा। परिणामतः धारा 183 आर0टी0एक्ट के प्रावधान लागू होंगें जो निम्नानुसार हैः–

Sec. 183– Ejectment of certain trespasser- (1)- Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub section (2) on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part wherof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी विवादित आराजी ग्राम सहरोद के ख0नं0 715 रकबा 0.47 है0 भूमि का अभिलिखित खातेदार है जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के किया गया कब्जा विधि विरूद्ध है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के अधीन अतिचारी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। वर्तमान में उक्त भूमि वादी के पृथक खाते दर्ज रिकार्ड होने से वादी द्वारा (ब) में चाहे गये अनुतोष पर धारा 53 आर0टी0एक्ट0 के तहत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर0टी0एक्ट0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। **प्रतिवादी क्रम 1 ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी सहरोद को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है** कि वह विवादित आराजी ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू जिला बारां के ख0नं0 715 रकबा 0.47 है0 आराजी पर

किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें तथा वादी रामनारायण पुत्र पृथ्वीराज को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं देवे। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि वह ख0नं0 715 रकबा 0.47 है0 आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी सहरोद को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी रामनारायण पुत्र पृथ्वीराज को सौंपे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **18.08.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 193/2019

उनवान

1. रामनारायण आयु 57 वर्ष पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी सहरोद तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. झनकारचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।
3. राजकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।
4. उमाबाई पत्नि मोहनलाल जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. बद्रीलाल पुत्र गोरधनलाल जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. कमलकुमार पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. शाखा प्रबंधक महोदय ओरयिन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा बारां जिला बारां राज0।
8. शाखा प्रबंधक महोदय एक्सिस बैंक शाखा बारां जिला बारां राज0।
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर. टी. एक्ट.</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....ᵀ................ रूबरू..............ᵀ..............................
बहाजिर :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री नीरज शर्मा प्रति0 क्रम 8
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। **प्रतिवादी क्रम 1 ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी सहरोद को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है** कि वह विवादित आराजी ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू जिला बारां के ख0नं0 715 रकबा 0.47 है0 आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें तथा वादी रामनारायण पुत्र पृथ्वीराज को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं देवे। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि वह ख0नं0 715 रकबा 0.47 है0 आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी सहरोद को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी रामनारायण पुत्र पृथ्वीराज को सौंपे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.............................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.08.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)